

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का आपराधिक विविध संख्या 23169

थाना मामला संख्या -703 वर्ष-2013 से उत्पन्न, थाना- पटना शिकायत मामला जिला- पटना

=====

सत्य प्रकाश गुप्ता, पुत्र - स्वर्गीय गोपाल प्रसाद, निवासी- मोहल्ला चौधराना रोड, डाकघर एवं

थाना- दानापुर, पटना- 801503

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य

2. श्री अजीत कुमार, पुत्र - स्वर्गीय बिरजू लाल साह, निवासी- विशाल मेगा मार्ट के निकट
गोला रोड, डाकघर एवं थाना - दानापुर, पटना-801503

.....विपरीत पक्ष/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अरुण कुमार,अधिवक्ता,

राज्य के लिए : श्री एम. दयाल, ए.पी.पी.

सूचना देने वाले के लिए : श्री नरेंद्र कुमार, अधिवक्ता

=====

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973---धारा 482---भारतीय दंड संहिता---धारा 323, 420, 504---बिहार
सहकारी समिति अधिनियम, 1935---धारा 48---धारा 323, 420, 504 आईपीसी के तहत
अपराध के लिए संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने के लिए याचिका---याचिकाकर्ताओं के

खिलाफ आरोप है कि उन्होंने खुद को संबंधित सहकारी समिति के पदाधिकारियों के रूप में सार्वजनिक रूप से पेश करना शुरू कर दिया और धोखाधड़ी से सदस्यों के आवंटित भूखंडों को बेचना शुरू कर दिया, जो पहले से ही पिछली समिति द्वारा संबंधित सदस्यों को आवंटित/बेचे जा चुके थे---निष्कर्ष: याचिकाकर्ता ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं दिखाई है कि ओ.पी. संख्या 2 के बिक्री विलेख को रद्द करने से पहले, संबंधित अधिकारी द्वारा उन्हें कोई अवसर दिया गया था---बिहार सहकारी समिति अधिनियम की धारा 48 के प्रावधान किसी भी प्रकार से संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगाने का अधिकार नहीं देते हैं---संबंधित रजिस्ट्रार को आवंटि को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके प्लॉट का आबंटन रद्द करने का अधिकार नहीं है और इसके अलावा किसी संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति के अधिकार और स्वामित्व का निर्धारण सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए और रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए --- याचिकाकर्ता और अन्य के कथित कृत्यों के कारण ओ.पी. संख्या 2 को गलत तरीके से नुकसान दिखाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री है और ओ.पी. संख्या 2 द्वारा बताई गई परिस्थितियां याचिकाकर्ता के खिलाफ जाती हैं --- वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है --- सही ढंग से पारित आदेश --- याचिका खारिज। (पैरा- 8)

(2007) 2 पीएलजेआर 525, 2019 (3) पीएलजेआर 281पर भरोसा किया गया।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

सी ऐ वी निर्णय

दिनांक: 05-02-2025

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री अरुण कुमार, श्री एम. दयाल, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान एपीपी और सूचना देने वाले की ओर से पेश विद्वान वकील श्री नरेंद्र कुमार (ओ. पी. नंबर 2) को सुना।

2. वर्तमान आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सीआर. पी. सी.') की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दानापुर की अदालत द्वारा 2013 के शिकायत मामला संख्या 703 (C) में पारित आदेश दिनांकित 08.08.2014 को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 323, 420 और 504 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया गया तथा याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त व्यक्तियों को उक्त अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अरुण कुमार प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्ति पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्होंने कोई कथित अपराध नहीं किए हैं, वास्तव में शिकायतकर्ता स्वयं एक अपराधी है और उस पर उक्त भूमि के संबंध में जाली बिक्री विलेख का आरोपी है और जब आरोपी विजय कुमार सिंह के बेटे श्री सुनील कुमार ने शिकायतकर्ता/ओ. पी. नंबर 2, उनके विक्रेता गोपाल प्रसाद और अन्य के खिलाफ दिनांक 02.05.2013 को शिकायत मामला संख्या 481 (सी) वर्ष 2013 दायर किया, तो ओ. पी. नंबर 2 ने जवाबी कार्रवाई के रूप में अपना मामला दायर किया और यह भी कि उनके विक्रेता गोपाल प्रसाद के कहने पर और आगे 2013 के शिकायत मामले संख्या 481 (सी) के आधार पर, दानापुर थाना मामला संख्या 378/2013, आई. पी. सी. की धारा 120 बी, 387, 436, 465, 466, 467 और 468 के साथ आई. पी. सी. की धारा 34 और शस्त्र अधिनियम की

धारा 27 के तहत अपराधों के लिए दर्ज किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता/ओ. पी. संख्या 2 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और इस संबंध में, इस याचिका के साथ दायर अनुलग्नक-3 प्रासंगिक है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता के विक्रेता गोपाल प्रसाद, 1983 से 31.12.1990 तक सोसाइटी के सचिव थे, लेकिन उक्त सोसाइटी की प्रबंधन समिति 01.01.1991 से 17.12.1997 तक निलंबित थी, इस प्रकार उक्त अवधि के दौरान गोपाल प्रसाद सोसाइटी के सचिव नहीं थे, लेकिन फिर भी उस अवधि में उन्होंने सोसाइटी के सदस्यों के रूप में कई व्यक्तियों को नियुक्त किया और शिकायतकर्ता द्वारा 23.07.1992 को खरीदी गई भूमि (प्लॉट संख्या 934, खाता संख्या 256) सहित विभिन्न व्यक्तियों को सोसाइटी के कई भूखंड बेचे। गोपाल प्रसाद के अवैध कृत्यों को बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 की धारा 48 के तहत जिला सहकारी अधिकारी, पटना की अदालत में विविध मामला सं. 192/2000 दायर करके चुनौती दी गई थी। जिसमें गोपाल प्रसाद के सभी कार्य अर्थात् 01.01.1991 और 17.12.1997 के बीच सदस्य बनाना और भूमि या भूखंडों की बिक्री को दिनांकित 07.06.2001 के आदेश द्वारा अवैध घोषित किया गया था और उक्त आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली है, इसलिए, इस स्थिति को देखते हुए, शिकायतकर्ता/ओ. पी. सं. 2 का बिक्री विलेख भी दूषित हो जाता है और इस संबंध में, विविध मामला संख्या 192/2000 में पारित दिनांक 07.06.2001 का आदेश प्रासंगिक है और इसे वर्तमान याचिका के अनुलग्नक '4' के रूप में दायर किया गया है।

4. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त अभय कुमार सिंह और विजय कुमार सिंह को सोसाइटी के सदस्य होने के नाते 31.12.2024 को सोसाइटी के सचिव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था और वे सभी उक्त गोपाल प्रसाद के अवैध कृत्यों का विरोध कर रहे हैं, परिणामस्वरूप, प्रतिद्वंद्वी कारणों से, सहकारी

अदालतों और आपराधिक अदालतों में उनके और सोसायटी के सदस्यों के दो समूहों के बीच में कई मामले खड़ी हो गई हैं और वर्तमान मामला उनमें से एक है। यह भी आगे प्रस्तुत किया गया है कि गोपाल प्रसाद ने याचिकाकर्ता और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ 19.07.2013 को शिकायत मामला संख्या 846 (सी)/ 2013 भी दायर किया है, जिसमें आई. पी. सी. की धारा 403 और 417 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया गया है और इसे विद्वान सत्र न्यायाधीश की अदालत में आपराधिक संशोधन मामला संख्या 3974/2014 दायर करके चुनौती दी गई है और यह लंबित है।

5. विद्वान वकील ने आगे कहा है कि जिन कथित अपराधों का संज्ञान लिया गया है, वे *प्रथम दृष्टया* भी नहीं बनते हैं और ओ. पी. नंबर 2 ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपनी शिकायत दर्ज की है और याचिकाकर्ता और अन्य लोगों के खिलाफ अभियोजन जो याचिकाकर्ता के मामले से बचाव के लिए लगाए गए तुच्छ आरोपों पर आधारित है, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का एक उदाहरण है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को 31.12.2004 को संबंधित सहकारी समिति की प्रबंधन समिति के सचिव के रूप में चुना गया था, जिसे चुनाव वाद संख्या 03/2005 दायर करके चुनौती दी गई थी, हालांकि उक्त मामले को संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियों, पटना द्वारा दिनांक 21.09.2005 के आदेश के अनुसार अनुमति दी गई थी, लेकिन इसे याचिकाकर्ता द्वारा पंजीयक, सहकारी समितियों, बिहार के समक्ष अपील संख्या 159/2005 को दायर करके चुनौती दी गई थी और उक्त आदेश दिनांक 21.09.2005 को पंजीयक द्वारा पारित दिनांक 20.03.2006 के आदेश द्वारा स्थगित कर दिया गया था और इन आदेशों की प्रतियों को पूरक आवेदन के अनुलग्नक-'P/7' और 'P/8' के रूप में दाखिल किया गया है।

6. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि सोसाइटी के चुनाव से संबंधित चुनाव अधिकारी, जिसके लिए याचिकाकर्ता सदस्यों में से एक है, को सहकारी विभाग, बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश द्वारा आरोपों से बरी कर दिया गया है, जो उक्त चुनाव अधिकारी द्वारा दायर अपील में ज्ञापन संख्या 2117 दिनांक 03.08.2023 में निहित है, इसलिए, शिकायतकर्ता का आरोप कि याचिकाकर्ता प्रश्नगत सोसायटी का सचिव नहीं था, पूरी तरह से गलत है।

7. दूसरी ओर, ओ. पी. नं. 2 की ओर से पेश विद्वान वकील श्री नरेंद्र कुमार ने तर्क दिया है कि ओ. पी. नं. 2 ने आदर्श गृह निर्माण समिति लिमिटेड, दानापुर (इसके बाद 'समिति' के रूप में संदर्भित) के कार्यालय में सदस्यता के पंजीकरण और भूमि और विकास लागत के लिए 08.03.1984 को 16,525/- रुपये की धन राशि जमा की थी और समिति ने उनके पक्ष में धन रसीद जारी की और बाद में, ओ. पी. नंबर 2 ने धन रसीद संख्या 228 के माध्यम से 30.08.1989 को अंतिम किश्त का भुगतान किया और उसके बाद समिति ने ओ. पी. के पक्ष में 24.12.1986 को विचाराधीन भूमि आवंटित की और राजस्व मौजा-सहजादपुर, थाना संख्या 21, अंचल- दानापुर, पटना में स्थित सेक्टर- III में भूखंड संख्या 09 वाली भूमि का कब्जा, जिसका माप लगभग 3000 वर्गफीट है को ओ. पी. को सौंप दिया गया और बाद में, उप-पंजीयक, दानापुर, पटना के कार्यालय में डीड संख्या 5976 दिनांक 23.07.1992 को मौजूदा कानून के अनुसार पंजीकृत बिक्री विलेख को उनके पक्ष में निष्पादित किया गया और आगे, ओ. पी. ने भूमि के उत्परिवर्तन/म्युटेशन के लिए आवेदन किया जिसे दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद उनके पक्ष में अनुमति दी गई थी। ओ. पी. को बाद में पता चला की 31.12.2004 को कोरम के अभाव में समिति की एक नई समिति के गठन कर लिया गया था जिसमें याचिकाकर्ता और कुछ अन्य लोगों ने कथित नई समिति के अन्य पदाधिकारियों के अलावा

क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के रूप में चुने जाने का दावा किया और यह प्रस्तुत करना प्रासंगिक है कि समिति की नई समिति के उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह और सहकारी विस्तार अधिकारी, दानापुर सुनील कुमार सिंह के बीच पिता और पुत्र के संबंध हैं, इसलिए इस कारण से उक्त सुनील कुमार सिंह को चुनाव नहीं कराना चाहिए था और उन्हें चुनाव कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे और उन्होंने उक्त नई समिति का चुनाव किया जिसमें उनके पिता विजय कुमार सिंह को समिति का उपाध्यक्ष घोषित किया गया था, लेकिन बाद में, उक्त चुनाव को संयुक्त पंजीयक द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। ओ. पी. नं. 2 को पता चला कि नई समिति के चुनाव को संयुक्त पंजीयक, सहकारी समिति, पटना की अदालत द्वारा चुनाव मामले संख्या 3/2005 में दिनांक 21.09.2005 के आदेश द्वारा अवैध घोषित किया गया था और समिति के मामलों के संबंध में एक प्रशासक नियुक्त किया गया था। बाद में, याचिकाकर्ता और उसके सहयोगियों ने संयुक्त पंजीयक, सहकारी समिति, पटना के उक्त आदेश को पंजीयक, सहकारी समिति, पटना के समक्ष अपील संख्या 159/2005 को पेश करते हुए चुनौती दी, जिसे 31.10.2008 के आदेश द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दिया गया था और चूंकि कोई समिति नहीं थी, इसलिए संयुक्त पंजीयक ने समिति के प्रबंधन के मामलों को देखने के लिए एक प्रशासक (सरकारी अधिकारी) नियुक्त किया और इसे 28.03.2010 तक प्रशासक द्वारा प्रबंधित किया गया था और इन आदेशों की प्रतियां जवाबी हलफनामे के साथ दायर की गई हैं। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि नई समिति को संयुक्त पंजीयक, सहकारी समिति, पटना द्वारा अवैध घोषित किए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता और उनके सहयोगियों ने सार्वजनिक रूप से खुद को उक्त समिति के पदाधिकारी के रूप में अपना परिचय देना शुरू कर दिया और धोखाधड़ी से सदस्यों के आवंटित भूखंडों को बेचना शुरू कर दिया जो पहले से ही पिछली समिति द्वारा संबंधित सदस्यों को आवंटित/बेचे जा चुके थे

और बाद में, याचिकाकर्ता और उनके सहयोगियों ने उनके बीच मतभेद पैदा होने के कारण अलग-अलग समूह बनाए। उक्त विवाद के बाद, सह-अभियुक्त अभय कुमार सिंह और विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक समूह ने ओ. पी. नंबर 2 की जमीन (प्लॉट नंबर 934, खाता नंबर 256) को चार व्यक्तियों के पक्ष में बेच दिया, जो समिति के सदस्य नहीं हैं, खरीदारों में से एक नीलम सिंह है, जो विक्रेता विजय कुमार सिंह की बहू है, जो नई समिति के तथाकथित उपाध्यक्ष हैं, और सुनील कुमार सिंह की पत्नी भी हैं, जिन्होंने नई समिति का चुनाव कराया था और इसके अलावा, सभी विचाराधीन कार्यों को वर्ष 2006 में सह-अभियुक्त अभय कुमार सिंह और विजय कुमार सिंह द्वारा निष्पादित किया गया था, जबकि उस समय, वे कथित समिति में कोई पद नहीं रखते थे और समिति का प्रशासन एक प्रशासक, श्री जय प्रकाश सिंह, सहकारी विस्तार अधिकारी, बिक्रम, पटना द्वारा किया जा रहा था, लेकिन तब भी, ओ. पी. के साथ-साथ कई अन्य व्यक्तियों की अन्य भूमि याचिकाकर्ता और उनके सहयोगियों द्वारा समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाटक करके बेची गई थी। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है, कि याचिकाकर्ता ने कथित समिति के सचिव के रूप में खुद को दिखाते हुए वर्ष 2008-11 के दौरान ओ.पी. संख्या 2 की भूमि को चार व्यक्तियों के पक्ष में फिर से बेच दिया, जबकि उस समय भी समिति का प्रशासन प्रशासक द्वारा किया जा रहा था, जिसका विवरण जवाबी हलफनामे में दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि वर्ष 2008-10 की अवधि के बीच याचिकाकर्ता ने समिति के कई भूखंड समिति के गैर-सदस्यों को बेच दिए, जबकि ये भूखंड पहले समिति द्वारा तत्कालीन सदस्यों को उनके पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करके आवंटित किए गए थे और इस संबंध में, कुछ बिक्री विलेखों का विवरण जवाबी हलफनामे में दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि 18.06.2013 को जब ओ. पी. संख्या 2 अपनी उपरोक्त आवासीय भूमि (भूखंड) पर व्यस्त था, तो हथियार और गोला-बारूद से लैस याचिकाकर्ता सहित आरोपी व्यक्ति वहां आए

और उसे गंभीर परिणाम का सामना करने की धमकी दी और जबरन काम करना बंद कर दिया और निर्माण कार्य की नकदी और अन्य वस्तुओं को लूट लिया और इन आरोपों के संबंध में ओ. पी. संख्या 2 ने शिकायत दर्ज की, जिसकी जांच करने के बाद विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत जांच की गई और गवाहों के बयान दर्ज किए गए और कथित अपराधों का उचित संज्ञान लिया गया ।

8. दोनों पक्षों को सुना और विवादित आदेश और अन्य प्रासंगिक सामग्रियों का अवलोकन किया गया। विवादित आदेश द्वारा, विद्वान मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता और अन्य लोगों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 323, 420 और 504 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया है। ओ. पी. संख्या 2 द्वारा अपनी शिकायत में लगाए गए आरोप के अनुसार, ओ. पी. संख्या 2 ने आदर्श सहकारी गृह निर्माण समिति, दानापुर (इसके बाद 'समिति' के रूप में संदर्भित) से इसके सचिव गोपाल प्रसाद के माध्यम से 24.12.1986 को 3000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक भूमि खरीदी, जिसकी रजिस्ट्री 23.07.1992 पर निष्पादित की गई थी और बिक्री की तारीख से, शिकायतकर्ता (ओ. पी. संख्या 2) उक्त भूमि पर अपना कब्जा रख रहा है और बिहार सरकार द्वारा 20.12.2013 तक उसके नाम पर राजस्व रसीद जारी की जा रही थी। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि 31.12.2004 को, याचिकाकर्ता, सह-अभियुक्त व्यक्तियों और अन्य लोगों द्वारा आवश्यक कोरम की अनुपस्थिति के बावजूद उक्त सहकारी समिति की समिति की एक नई समिति का गठन किया गया था, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के कारण चुनाव मामला संख्या 3/2005 में पारित आदेश के माध्यम से संयुक्त पंजीयक, सहकारी समिति की अदालत द्वारा उस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था। यद्यपि चुनाव का उक्त विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि समिति के तत्कालीन सचिव द्वारा ओ. पी. संख्या 2 के पक्ष में विचाराधीन भूमि की बिक्री को

याचिकाकर्ता द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। यद्यपि उन्होंने यह बचाव किया है कि तत्कालीन सचिव गोपाल प्रसाद ने सोसायटी के सदस्यों को बनाने और समिति के भूखंडों को कई सदस्यों को हस्तांतरित करने में अवैधता की थी, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा दायर अनुलग्नक-4 से जिसके द्वारा समिति के 31 तथाकथित सदस्यों को भूखंडों का आवंटन रद्द कर दिया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि ओ. पी. संख्या 2 का नाम उस आवंटियों की सूची में नहीं था और इसके अलावा, ओ. पी. संख्या 2 के अनुसार, उन्होंने आवश्यक धन का भुगतान करके 24.12.1986 को विचाराधीन भूमि खरीदी थी। याचिकाकर्ता ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं दिखाई है कि ओ. पी. संख्या 2 के लिखत (बिक्री विलेख) को रद्द करने से पहले, संबंधित अधिकारी द्वारा उसे कोई अवसर दिया गया था। ओ. पी. संख्या 2 ने अपने जवाबी हलफनामे में खुलासा किया है कि समिति की नई समिति के चुनाव में सह-अभियुक्त विजय कुमार सिंह, नई समिति के उपाध्यक्ष और सुनील कुमार सिंह, सहकारी विस्तार अधिकारी, दानापुर, जिनके पिता और पुत्र के संबंध हैं, ने चुनाव की कार्यवाही में भाग लिया और सुनील कुमार सिंह के पिता को समिति का उपाध्यक्ष घोषित किया गया और उसके बाद ओ. पी. संख्या 2 का प्लॉट जिसका नंबर 934 और खाता नंबर 256 था, याचिकाकर्ता द्वारा फिर से चार खरीदारों के हाथों बेच दिया गया, जो खुद को समिति के सचिव के रूप में दिखा रहे थे, जबकि उस समय समिति का प्रशासन संयुक्त पंजीयक, सहकारी समिति, पटना द्वारा नियुक्त एक प्रशासक के द्वारा किया जा रहा था, और उसके बाद, ओ. पी. संख्या 2 के अनुसार, उक्त भूमि को सह-अभियुक्त अभय कुमार सिंह और विजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से चार अन्य व्यक्तियों के पक्ष में बेच दिया गया जो समिति के सदस्य नहीं थे। ओ. पी. संख्या 2 ने याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा कई व्यक्तियों के पक्ष में समिति के भूखंडों के आवंटन में कथित रूप से की गई अवैधताओं के संबंध में कुछ अन्य आरोप भी लगाए हैं। आदेश का विरोध करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बिहार

सहकारी समिति अधिनियम, 1935 की धारा 48 के प्रावधानों पर भरोसा किया है, जिन पर मुख्य रूप से जिला सहकारी अधिकारी, पटना की अदालत ने दिनांकित 07.06.2001 आदेश पारित करते समय विचार किया था, जिसके द्वारा 31 अलाटियों को भूखंडों के आवंटन को अवैध घोषित किया गया था। बिहार सहकारी समिति अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी पंजीकृत समिति के व्यवसाय के संबंध में सदस्यों, पूर्व सदस्यों या सदस्यों या पूर्व सदस्यों या मृत सदस्यों, सदस्यों की प्रतिभूतियों आदि के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद से संबंधित है, लेकिन इस धारा के प्रावधान संबंधित पंजीयक को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भूखंड के आवंटन को रद्द करने की शक्ति प्रदान नहीं करते हैं और आगे किसी संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति के अधिकार और अधिकार का निर्धारण सक्षम अधिकारिता वाले दीवानी न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए और ऐसी शक्ति का प्रयोग पंजीयक द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। यह इस न्यायालय द्वारा **श्रीमती स्वाति पांडे और अन्य बनाम पंजीयक, सहकारी समितियाँ, बिहार, पटना और अन्य** के मामले में तय किया गया है जो की (2007) 2 पी. एल. जे. आर. 525 में रिपोर्ट की गई है जिसमें कहा गया है कि एक बार किसी संपत्ति को पंजीकृत दस्तावेज द्वारा हस्तांतरित किए जाने के बाद, एक निहित नागरिक अधिकार हस्तान्तरिति को सौंप दिया जाता है और ऐसे निहित अधिकार को रद्द करने का अधिकार केवल सक्षम अधिकार क्षेत्र के एक दीवानी अदालत के पास होता है और पंजीयक के पास किसी पक्ष के अधिकार और अधिकार पर निर्णय लेने के लिए दीवानी अदालत की ऐसी कोई शक्ति या अधिकार नहीं होता है। **अनिल कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य** जो 2019 (3) पी. एल. जे. आर. 281 में रिपोर्ट किया गया के मामले में इस न्यायालय ने उक्त सिद्धांत का पालन किया है। यद्यपि जिला सहकारी अधिकारी, पटना द्वारा बिहार सहकारी समिति अधिनियम की धारा 48 के तहत पारित आदेश की वैधता का प्रश्न विचाराधीन

है जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है, लेकिन याचिकाकर्ता और अन्य के कथित कृत्यों के कारण ओ. पी. संख्या 2 को गलत नुकसान दिखाने के लिए पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* सामग्री है और ओ. पी. संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा बताई गई परिस्थितियाँ याचिकाकर्ता के खिलाफ हैं जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए बचाव को दोनों पक्षों से साक्ष्य लेने के बाद निचली अदालत द्वारा देखा जाना है और जांच के दौरान, जिन गवाहों से ओ. पी. नंबर 2 द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष पूछताछ की गई थी, उन्होंने आई. पी. सी. की धारा 323 और 504 के तहत दंडनीय अन्य अपराधों से संबंधित आरोपों का समर्थन किया। और इस तरह यहाँ पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित अपराधों के साथ आगे बढ़ने के लिए *प्रथम दृष्टया* पर्याप्त सामग्री है। तदनुसार, यह न्यायालय इस याचिका में कोई योग्यता नहीं पाता है और विवादित आदेश सही ढंग से पारित किया गया है, इसलिए, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

अन्न्/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।